

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

19/09/25

आज पत्रावली पेसा वकीलवादी द्वारा प्रकरण को Notepress कर कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रकरण Notepress के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाफ सुरति دفتر खारिज हो।

इका नोट
पुस

निपाजता है

19/09/25

200